न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/74/19	01.10.2019	16–12–2019

1–जफरू पुत्र कमरूदीन जाति मेव निवासी ग्राम बीलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1–अब्दूल पुत्र जैन खॉ जाति मेव।
2–अयूब पुत्र कमरूदीन जाति मेव।
3–मुबीन पुत्र कमरूदीन जाति मेव।
4–रहीसन पुत्री कमरूदीन जाति मेव।
5–अकबरी पुत्र कमरूदीन जाति मेव।
6–बसरी पुत्री कमरूदीन जाति मेव।
7–रूकसीना पुत्री कमरूदीन जाति मेव।
8–मुबीना पुत्र कमरूदीन जाति मेव।
9–जन्नती स्त्री रसीद जाति मेव।
10–मुस्ताक पुत्र रसीद जाति मेव।
11–सौकत अली पुत्र रसीद जाति मेव।
12–असलम पुत्र रसीद जाति मेव।
13–शाकिर पुत्र रसीद जाति मेव।
14–इमरान पुत्र रसीद जाति मेव।
15–आरिफ पुत्र रसीद जाति मेव।
16–रिहाना पुत्री रसीद जाति मेव।
17–अरफीना पुत्री रसीद जाति मेव।
18–वरीसा पुत्री रसीद जाति मेव।
19–सहीदन पुत्री जैन खॉ जाति मेव।
20–जुबेदा स्त्री इसलामु जाति मेव।
21–जमशेद पुत्र इसलाम जाति मेव।
22–मुनशेद पुत्र इसलाम जाति मेव निवासीयान ग्राम बीलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
23–जुबेर पुत्र मुहर खॉ जाति मेव।
24–अबीद पुत्र मुहर खॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम सालाहेडी तहसील नूह जिला मेवात।
25–शरबती स्त्री बिशन सिंह जाति गुर्जर निवासी सॉथलका तहसील तिजारा जिला अलवर।
26–हमीद पुत्र जयमल जाति मेव।
27–याकूब पुत्र जयमल जाति मेव।
28–खुशी मोहम्मद पुत्र जयमल मेव।
29–ईसब पुत्र नूरमोहम्मद निवासीयान ग्राम बीलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
30–चानन साह पुत्र सौदागर मल जाति पंजाबी।
31–हरबंश साह पुत्र सौदागर मल जाति पंजाबी निवासीयान तावडू जिला नूह मेवात।
32–दयाराम पुत्र कुन्दन जाति गुर्जर निवासी ग्राम उबाका जिला नूह मेवात।
33–रहीसन स्त्री दीन मोहम्मद जाति मेव निवासी कारेन्दी तहसील तिजारा जिला अलवर।
34–जाकिर हुसैन पुत्र शम्मी खॉ जाति मेव निवासी बहादरी तहसील तिजारा जिला अलवर।
35–नुजरबी पुत्र निवाल खॉ जाति मेव निवासी ग्राम बीलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
36–किशन चन्द गर्ग पुत्र हरीराम महाजन निवासी पटूका तावडू
37–तैयब खॉ पुत्र कालू खॉ जाति मेव निवासी पटूका तावडू।
38–आस मोहम्मद पुत्र जोरे खॉ निवासी ग्राम बीहाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
39–तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।
40–उप खण्ड अधिकारी तिजारा श्री के0राम यादव तहसील तिजारा जिला अलवर।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री मनीष कुमार —वकील प्रार्थी
02. श्री जनार्दन शर्मा —वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी जफरू वगैरा बनाम अब्दूल वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में राजस्व वाद तकासमा हुक्म ईम्तनाई दवामी जिसके साथ अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र का विचाराधीन है। तहत अदालत में उक्त प्रकरण में दिनांक 26.8.19 की पेशी नियत थी। प्रतिवादी ईसब की ओर से दिनांक 6.8.19 को प्रकरण में नजदीक की तारीख कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी 19.8.19 की होना भी दर्ज किया, प्रार्थना पत्र पेश होने पर पीठासीन अधिकरी ने दिनांक 6.8.19 को ही दिनांक 8.8.19 की पेशी नियत कर वादी वकील को नोटिस जारी करावें दियें। दिनांक 8.8.19 को प्रार्थी वकील ने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि प्रकरण में लम्बी पेशी लगी हुई नहीं है और पक्षकारान को सूचित करेगें। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि प्रकरण में आज ही बहस करों वकील साहब ने निवेदन किया कि नोटिस आज ही प्राप्त हुआ है और पत्रावली कार्यालय में है इसलिए बहस किया जाना सम्भव नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में कहा कि प्रकरण में दम नहीं है, प्रकरण को कब तक बचाओगें प्रकरण तो खारिज ही होना है। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करेगें, पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण को बेजला लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहत अदालत से स्टे ले रखा है तथा अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश किया गया है। स्टे की आड में मौके पर निर्माण कार्य कर मौका स्थिति परिवर्तन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बेजा रूप से तंग वो परेशान करने की नियत से झूठे एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा तहत अदालत में तकासमा का वाद दायर किया हुआ है और अप्रार्थी अपने विवादित आराजी की पैमाईश करवाना चाहता है, प्रार्थी पैमाईश नही होने देना चाहते है। पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो बिल्कुल अप्राकृति है किसी भी तरह इस तरह की बाते पीठासीन अधिकारी नही कहे सकता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 16–12–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)